Regd/Speed Post

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

1. समतस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त अधिकारीगण,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 1495 खनन/ मु0ख0/22/ भू0खनि0इ0/2015 दिनाक 21 सितम्बर 2015

विषयः अधिसूचना सं0 844 दिनांक 31-07-2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा पत्र संख्या 7772/तीस-54/खनन-गौ0 ख0नी0-15/2014-15 दिनांक 16-09-2015 के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 की धारा-6 की उपधारा 4(क) के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित नीति में पात्रता के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है इस सम्बन्ध में गौण खनिजों के आवेदनपत्रों को व्यवहरित करने एवं स्वीकृत खनन पट्टो को चलाने हेतु गौण खनिज नीति-2015 के अनुसार निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी :

1. राज्य सरकार द्वारा रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 यथा संशोधनों सहित लागू है इसलिए खनिजों के आवेदन पत्रों हेतु नियमावली में निर्धारित प्रपत्र समय-समय पर शासन द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार (सलग्नकों के साथ प्रेषित किये जाने हेतु) ही लागू होगें।
2. औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के बिन्दु संख्या 03(नौ) के अनुसार खनन पट्टा हेतु नाप भूमिधारक को प्रतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी निर्धारक अधिकारी है एवं 06 (तीन) (क) के अनुसार निजी नाप भूमि में भूस्वामी की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान किया गया है। निजी भूमि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पत्र संख्या 1415/02-सू0का0अधि0अधि0-05/2014-15 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 द्वारा निजी भूस्वामी की सहमति के सम्बन्ध में "सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति की जॉच कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदित स्थल में भूस्वामी की सहमति प्राप्त आवेदक के अतिरिक्त खनन पट्टा हेतु अन्य कोई आवेदन नही किया गया है। तदनुसार आश्वस्त होने के उपरान्त संस्तुति सहित आख्या निदेशालय व शासन को प्रेषित किये जाये।

अतः उपरोक्तानुसार औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गोण खनिज नीति-2015 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 यथा संशोधनों सहित के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक

संख्याः 1495 खनन/ मु0ख0/22/ भू0खनि0इ0/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सज्ञानार्थ प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक